संख्या-37/2015/141/71-1-2015-जी-322/2014

प्रेषक

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 09 मार्च, 2015

विषय:- मेडिकल कालेज, इलाहाबाद से सम्बद्ध एस0आर0एन0 चिकित्सालय परिसर में नलकूप संख्या-2 रिबोर हेतु आगणन प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2014/696, दिनाँक 15-01-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, इलाहाबाद से सम्बद्ध एस0आर0एन0 चिकित्सालय परिसर में नलकूप संख्या-2 रिबोर हेतु रू0 24,97,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 24,97,000/- (रू0 चौबीस लाख सत्तानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखा जायेगा।
2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य में किया जाय, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी अन्य कार्य/मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- मात्राओं के निर्माण का समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी। संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।
5- प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
6- नलकूप रिबोर का कार्य नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम से कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-40-राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:- 37/2015/141(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लि0, विद्युत/यांत्रिक जनकूप विंग, ए0डी0-8, एकांकी कुंज, म्योर रोड, राजापुर, इलाहाबाद।
7- /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in